ज्यानकी देवी आदि - गोविन्दा आदि प्र.क्र.- 21/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2.5.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. नहत का रिकार्ड प्राप्त। बाजे बहस दिनांक 16.5.24 को पेश हो। [initials]	
16.5.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाजे बहस दिनांक 23.5.24 को पेश हो। [initials]	Noted [initials]
23.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.6.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
21.6.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। वकील रेस्पो. ने बहस हेतु समय चाहा। समय दिया गया। बाजे बहस वकील रेस्पो. दिनांक 2.7.24 को पेश हो। [initials] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
2.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली बाजे आदेश दिनांक 18.7.24 को पेश हो। [initials] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर
18/7/24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [initials] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 21/2021

1 ज्यानकी देवी पत्नी स्व. श्री चन्द्राराम आयु वर्ष जाति मीणा निवासी राजनपुरा मेई तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज।
2 रिछपाल
3 सांवरमल
4 शिवनारायण
समस्त पुत्रगण स्व. चन्द्राराम जाति मीणा निवासी राजनपुरा मेई तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 गोविन्दराम
2 जगदीश
3 बंशीधर पुत्रगण स्व. बोदुराम
4 कूनण पुत्र भूरा
5 कमली बेवा कल्याण (फौत)
6 ओमप्रकाश पुत्र कल्याण (हजफ)
7 अरूण कुमार पुत्र कल्याण
8 महेश कुमार पुत्र कल्याण
समस्त जाति मीणा निवासीगण राजनपुरा मेई तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
9 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पुराना नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर) शाखा दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये प्रबन्धक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 18.12.2020
बउनवानी चन्द्राराम वगै. बनाम बोदूराम वगै.
मुकदमा नम्बर 202/2009 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी महोदय, दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपस्थिति :

1. श्री नसीर अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवीन शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री पोखरमल भींचर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा 202/2009 में पारित निर्णय दिनांक 18.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम राजनपुरा पटवार हल्का मेई तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 539 रकबा 0.15 हैक्टेयर के संदर्भ में दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि गवाह शिव नारायण व हरिराम ने अपने मुख्य परिक्षण में वादग्रस्त भूमियों को 50–60 वर्षों से स्वयं द्वारा काश्त करना बताया है और अपने पक्ष में लिखावट होना भी बताया है। मुख्य परीक्षण में किये गये कथन व लिखावट 25.07.2004 से यह भली भांति प्रमाणित है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त है। स्टाम्प बोदू कुंदनमल पुत्र भूराराम के नाम से दिनांक 14.07.2004 को खरीदा गया है इस प्रकार से यह भली भांति प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमियों पर अपीलांट/वादीगण काबिज रहे है। खसरा नम्बर 524 नया के पुराना खसरा नम्बर 198/2 थे जिसकी खसरा गिरदावरी 2017 में काश्त गणपत की बताई गई है व संवत 2019–2022 में गणपत मीणा का कब्जा काश्त बताया गया है एवं गिरदावरी संवत 2030–34 में गणपत पुत्र गुल्ला की काश्त बताई गई है इससे यह साबित है कि अपीलांट/वादीगण लिखावट में उल्लेखित खसरा नम्बर 524, 537 व 539 को काश्त करते रहे है लिखावट पर बोदूराम की अंगूठा निशानी है गवाह रामेश्वर व गोपाल के भी हस्ताक्षर है परंतु विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को अनदेखा कर जैर अपील निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट बोदूराम के वारिसान व रेस्पोडेन्ट कुनण दस्तावेज दिनांक 25.07.2004 से पाबंद है इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लिखावट से अन्यथा कथन करने का कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि लिखावट प्रदर्श–3 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि खसरा नम्बर 523, 539 पे 524 सांवतराम, चन्द्राराम व गणपतराम के कब्जे में है। अपीलांट चन्द्राराम के पुत्रगण है व किशनाराम के पौत्र है यदि न्यायालय में आकर गलत रूप से अपने हस्ताक्षर होने से इंकार करता है तो उसको कोई कानूनी महत्व नहीं है कानूनन अपने द्वारा सहमति से लिखी गई लिखावट प्रदर्श–3 से प्रतिबंधित है। प्रतिवादी कुनणराम द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया गया है कि मेरे दादा का नाम गुल्लाराम था। गुल्लाराम के चार बेटे थे मेरा पिता भूराराम सबसे बड़ा था उससे छोटा किशनाराम फिर सांवतराम व सबसे छोटा गणपतराम था। उसने जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि यह जमीन गुल्लाराम की थी। इससे यह भली भांति प्रमाणित है कि वादग्रस्त संपदा पैतृक है और भाई बंटवारे में खसरा नम्बर 539 रकबा 0.15 हैक्टेयर वादीगण के कब्ज काश्त में है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर आये समस्त साक्ष्यों का सही विश्लेषण किये बिना ही तनकीवार फैसला किये बिना ही सरसरी तोर पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 539 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण ने एकमात्र लिखावट के आधार पर उद्घोषणा चाही है। वादीगण ने अपना कब्जाकाश्त साबित करने हेतु कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के ही नाम दर्ज है। अतः वादी न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या 1 व 2 दोनों को साबित करने में असफल रहा है। विचारण न्यायालय निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 539 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादीगण ने एकमात्र लिखावट के आधार पर उद्घोषणा चाही है। वादीगण ने अपना कब्जाकाश्त साबित करने हेतु कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के ही नाम दर्ज है। अतः वादी न्यायालय द्वारा विरचित तनकी संख्या 1 व 2 दोनों को साबित करने में असफल रहा है। विचारण न्यायालय निर्णय विधि सम्मत है। अपंजीकृत लिखावट के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का विधिक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर